प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/RW / 18–25 / 2016–17 / 7940 दिनांक 09 / 12 / 2016

विषय–क्रियाशील प्रसव इकाईयों में स्थापित न्यूबोर्न केयर कार्नर, (NBCC) पर रेडियण्ट वार्मर के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके जनपदों द्वारा गैप एनालिसिस के आधार पर पूर्व से क्रियाशील प्रसव इकाईयों में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) हेतु प्रस्तावित रेडियण्ट वार्मर को क्रय कर इन इकाईयों को क्रियाशील करने हेतु वर्ष 2016–17 की राज्य कार्ययोजना में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत किये गये रेडियण्ट वार्मर का अधिकतम मूल्य **(Rediant Warmer@Rs. 35000.00/-per unit)** एवं उपकरणों की संख्या के अनुसार नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों के खातें में अवमुक्त की जा रही है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट एवं मानक के आधार पर ही रेडिएण्ट वार्मर का क्रय किया जाना है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। उपकरणों की दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश से सम्पर्क करने का कष्ट करें। रेडिएण्ट वार्मर के दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में सूचना वेब साइट http://dghealth.up.nic.in /generalratelist.aspx पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

1– <u>वित्त पोषण–</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में FMR Code-B16.1.2.6 पर स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

क्रियाशील प्रसव इकाईयों में स्थापित न्यूबॉर्न केयर कार्नर, (NBCC) हेतु रेडियण्ट वार्मर के जनपद स्तर पर दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer

S.N.	Name of District	No. of Radaint Warmer	Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit	Total funds released to DHS
FMR Code-B16.1.2.6				
1	Agra	10	35000	350000
2	Aligarh	10	35000	350000
3	Allahabad	10	35000	350000
4	Ambedkar Nagar	10	35000	350000
5	Amethi	9	35000	315000
6	Amroha (JP Nagar)	8	35000	280000
7	Auraiya	7	35000	245000
8	Azamgarh	10	35000	350000
9	Baghpat	8	35000	280000
10	Bahraich	7	35000	245000

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer				
S.N.	**Name of District**	**No. of Radaint Warmer**	**Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit**	**Total funds released to DHS**
		FMR Code-B16.1.2.6		
11	Ballia	7	35000	245000
12	Balrampur	12	35000	420000
13	Banda	10	35000	350000
14	barabanki	12	35000	420000
15	Bareilly	9	35000	315000
16	Basti	10	35000	350000
17	Bijnor	6	35000	210000
18	Budaun	8	35000	280000
19	Bulandshahar	10	35000	350000
20	Chandauli	7	35000	245000
21	Chitrakoot	8	35000	280000
22	Deoria	10	35000	350000
23	Etah	7	35000	245000
24	Etawah	7	35000	245000
25	Faizabad	10	35000	350000
26	Farukkhabad	10	35000	350000
27	Fatehpur	8	35000	280000
28	Firozabad	7	35000	245000
29	Gautam Buddha Nagar	7	35000	245000
30	Ghaziabad	8	35000	280000
31	Ghazipur	10	35000	350000
32	Gonda	8	35000	280000
33	Gorakhpur	10	35000	350000
34	Hamirpur	9	35000	315000
35	Hapur	7	35000	245000
36	Hardoi	10	35000	350000
37	Hathras	8	35000	280000
38	Jalaun	10	35000	350000
39	Jaunpur	9	35000	315000
40	Jhansi	9	35000	315000
41	Kannauj	9	35000	315000
42	Kanpur Dehat	7	35000	245000
43	Kanpur Nagar	8	35000	280000
44	Kasganj	8	35000	280000
45	Kaushambi	9	35000	315000
46	Kushi Nagar (Padrauna)	8	35000	280000
47	Lakhimpur Kheri	10	35000	350000
48	Lalitpur	12	35000	420000
49	Lucknow	8	35000	280000
50	Maharajganj	10	35000	350000
51	Mahoba	8	35000	280000
52	Mainpuri	9	35000	315000
53	Mathura	7	35000	245000
54	MAU	8	35000	280000
55	Meerut	10	35000	350000
56	MIRZAPUR	10	35000	350000
57	Moradabad	10	35000	350000
58	Muzaffar Nagar	8	35000	280000
59	Pilibhit	8	35000	280000
60	Pratapgarh	10	35000	350000

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer				
S.N.	**Name of District**	**No. of Radaint Warmer**	**Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit**	**Total funds released to DHS**
FMR Code-B16.1.2.6				
61	Raebareli	8	35000	280000
62	Rampur	8	35000	280000
63	Saharanpur	10	35000	350000
64	Sambhal	7	35000	245000
65	Sant Kabir Nagar	7	35000	245000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	7	35000	245000
67	Shahjahanpur	12	35000	420000
68	Shamali	7	35000	245000
69	Shravasti	8	35000	280000
70	Siddharth Nagar	8	35000	280000
71	Sitapur	8	35000	280000
72	Sonbhadra	10	35000	350000
73	Sultanpur	7	35000	245000
74	Unnao	8	35000	280000
75	Varanasi	9	35000	315000
Total Fund		**653**	**35000**	**22855000**

नोटः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / 2012–13 / लेखा / पी0एफ0एम0 एस0 / 187 / 96–2, दिनांक 08 / 04 / 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

जनपद में रेडियण्ट वार्मर की उचित स्थान पर लगाने तथा सम्बन्धित पत्र प्रपत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। इसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 के कार्यालय में भी सुरक्षित रखा जाये।

रेडियण्ट वार्मर स्थापित किये जाने की सूचना **संलग्न प्रारूप पर** महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन इकाईयों पर वार्मर की स्थापना कर दी जाय उस इकाई के 1–1 चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों तथा रेफ्रीजरेटर मैकेनिक की बैठक बुला कर बैठक में इसके उपयोग करने का प्रर्दशन कम्पनी के कर्मचारी द्वारा कराया जाय।

उक्त के अतिरिक्त भी यदि जनपद में रेडियण्ट वार्मर की आवश्यकता है तो इकाईवार सूची सहित आगामी पी0आई0पी0 हेतु प्रस्ताव तैयार करायें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/RW / 18–25 / 2016–17 / **दिनांक / 12 / 2016**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, भण्डार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला / संयुक्त चिकित्सालय।
8. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ आपूर्ति किये जा रहे रेडियण्ट वार्मर विद ट्राली की अद्यतन स्थिति के विषय में कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराये।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/RW / 18–25 / 2016–17 / दिनांक / 12 / 2016

विषय–क्रियाशील प्रसव इकाईयों में स्थापित न्यूबोर्न केयर कार्नर, (NBCC) पर रेडियण्ट वार्मर के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके जनपदों द्वारा गैप एनालिसिस के आधार पर पूर्व से क्रियाशील प्रसव इकाईयों में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) हेतु प्रस्तावित रेडियण्ट वार्मर को क्रय कर इन इकाईयों को कियाशील करने हेतु वर्ष 2016–17 की राज्य कार्ययोजना में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत किये गये रेडियण्ट वार्मर का अधिकतम मूल्य **(Rediant Warmer@Rs. 35000.00/-per unit)** एवं उपकरणों की संख्या के अनुसार नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों के खातें में अवमुक्त की जा रही है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट कॉन्ट्रैक्ट एवं मानक के आधार पर ही रेडिएण्ट वार्मर का क्रय किया जाना है। क्रय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये। उपकरणों की दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिये निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश से सम्पर्क करने का कष्ट करें। रेडिएण्ट वार्मर के दर अनुबन्ध के सम्बन्ध में सूचना वेब साइट http://dghealth.up.nic.in /generalratelist.aspx पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

<u>1– वित्त पोषण–</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में FMR Code-B16.1.2.6 पर स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

क्रियाशील प्रसव इकाईयों में स्थापित न्यूबॉर्न केयर कार्नर, (NBCC) हेतु रेडियण्ट वार्मर के जनपद स्तर पर दर अनुबन्ध के आधार पर क्रय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि नीचे दी गयी तालिकानुसार समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer

S.N.	Name of District	No. of Radaint Warmer	Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit	Total funds released to DHS
		FMR Code-B16.1.2.6		
1	Agra	10	35000	350000
2	Aligarh	10	35000	350000
3	Allahabad	10	35000	350000
4	Ambedkar Nagar	10	35000	350000
5	Amethi	9	35000	315000
6	Amroha (JP Nagar)	8	35000	280000
7	Auraiya	7	35000	245000
8	Azamgarh	10	35000	350000
9	Baghpat	8	35000	280000
10	Bahraich	7	35000	245000

AW

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer				
S.N.	**Name of District**	**No. of Radaint Warmer**	**Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit**	**Total funds released to DHS**
FMR Code-B16.1.2.6				
11	Ballia	7	35000	245000
12	Balrampur	12	35000	420000
13	Banda	10	35000	350000
14	barabanki	12	35000	420000
15	Bareilly	9	35000	315000
16	Basti	10	35000	350000
17	Bijnor	6	35000	210000
18	Budaun	8	35000	280000
19	Bulandshahar	10	35000	350000
20	Chandauli	7	35000	245000
21	Chitrakoot	8	35000	280000
22	Deoria	10	35000	350000
23	Etah	7	35000	245000
24	Etawah	7	35000	245000
25	Faizabad	10	35000	350000
26	Farukkhabad	10	35000	350000
27	Fatehpur	8	35000	280000
28	Firozabad	7	35000	245000
29	Gautam Buddha Nagar	7	35000	245000
30	Ghaziabad	8	35000	280000
31	Ghazipur	10	35000	350000
32	Gonda	8	35000	280000
33	Gorakhpur	10	35000	350000
34	Hamirpur	9	35000	315000
35	Hapur	7	35000	245000
36	Hardoi	10	35000	350000
37	Hathras	8	35000	280000
38	Jalaun	10	35000	350000
39	Jaunpur	9	35000	315000
40	Jhansi	9	35000	315000
41	Kannauj	9	35000	315000
42	Kanpur Dehat	7	35000	245000
43	Kanpur Nagar	8	35000	280000
44	Kasganj	8	35000	280000
45	Kaushambi	9	35000	315000
46	Kushi Nagar (Padrauna)	8	35000	280000
47	Lakhimpur Kheri	10	35000	350000
48	Lalitpur	12	35000	420000
49	Lucknow	8	35000	280000
50	Maharajganj	10	35000	350000
51	Mahoba	8	35000	280000
52	Mainpuri	9	35000	315000
53	Mathura	7	35000	245000
54	MAU	8	35000	280000
55	Meerut	10	35000	350000
56	MIRZAPUR	10	35000	350000
57	Moradabad	10	35000	350000
58	Muzaffar Nagar	8	35000	280000
59	Pilibhit	8	35000	280000
60	Pratapgarh	10	35000	350000

District wise Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer				
S.N.	**Name of District**	**No. of Radaint Warmer**	**Radaint Warmer @ Rs. 35000/- per Unit**	**Total funds released to DHS**
		FMR Code-B16.1.2.6		
61	Raebareli	8	35000	280000
62	Rampur	8	35000	280000
63	Saharanpur	10	35000	350000
64	Sambhal	7	35000	245000
65	Sant Kabir Nagar	7	35000	245000
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	7	35000	245000
67	Shahjahanpur	12	35000	420000
68	Shamali	7	35000	245000
69	Shravasti	8	35000	280000
70	Siddharth Nagar	8	35000	280000
71	Sitapur	8	35000	280000
72	Sonbhadra	10	35000	350000
73	Sultanpur	7	35000	245000
74	Unnao	8	35000	280000
75	Varanasi	9	35000	315000
Total Fund		**653**	**35000**	**22855000**

<u>नोटः—</u>

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का राजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये **मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी,** एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह कार्यक्रम से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।

10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11. इस कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

जनपद में रेडियण्ट वार्मर की उचित स्थान पर लगाने तथा सम्बन्धित पत्र प्रपत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, निदेशक, सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाये। इसकी एक प्रति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0 के कार्यालय में भी सुरक्षित रखा जाये।

रेडियण्ट वार्मर स्थापित किये जाने की सूचना **संलग्न प्रारूप पर** महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल gmchildhealthnrhm@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन इकाईयों पर वार्मर की स्थापना कर दी जाय उस इकाई के 1–1 चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों तथा रेफ्रीजरेटर मैकेनिक की बैठक बुला कर बैठक में इसके उपयोग करने का प्रर्दशन कम्पनी के कर्मचारी द्वारा कराया जाय।

उक्त के अतिरिक्त भी यदि जनपद में रेडियण्ट वार्मर की आवश्यकता है तो इकाईवार सूची सहित आगामी पी0आई0पी0 हेतु प्रस्ताव तैयार करायें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/RW/18–25/2016–17/7940-75-8 **दिनांक** 09 **/12/2016**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, भण्डार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय।
8. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ आपूर्ति किये जा रहे रेडियण्ट वार्मर विद ट्राली की अद्यतन स्थिति के विषय में कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराये।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

रेडिएन्ट वार्मर की स्थापना की जनपद वार सूचना

क्र0 सं0	स्वास्थ्य इकाई का नाम	स्थापना का स्थान	दिनांक	इन्चार्ज का नाम	पद नाम	मोबाइल न0